

राजस्थान-सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान-अजमेर

क्रमांक: प01/प्रति./नवीन आयुष महा. वि./06/2022/3291

दिनांक: 13-3-23


विज्ञप्ति

आयुष विभाग राजस्थान सरकार के अन्तर्गत संचालित 06 नवीन आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालयों (केकडी-अजमेर/भरतपुर/जयपुर/कोटा/बीकानेर/सीकर) में अध्ययन-अध्यापन एवं चिकित्सा कार्य हेतु सह आचार्य, लेक्चरर, परामर्शदाता एवं आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पदों के लिये संविदा पर पूर्णतया अस्थाई आधार पर नियुक्ति हेतु दिनांक 15.03.2023 से 31.03.2023 रात्रि 12:00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	पदनाम	विषय	पदों की संख्या	पारिश्रमिक	नियुक्ति हेतु आयु सीमा
1	सह आचार्य	मौलिक सिद्धान्त/क्रिया शारीर/रचना शारीर प्रत्येक विषय में 06 पद	18	पारिश्रमिक प्रतिमाह 47200/- (अक्षरे सैतालीस हजार दौ सौ मात्र)	दिनांक 01.01.2024 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष
2	लेक्चरर	मौलिक सिद्धान्त/क्रिया शारीर/रचना शारीर प्रत्येक विषय में 06 पद	18	पारिश्रमिक प्रतिमाह 39300/- (अक्षरे उनचालीस हजार तीन सौ मात्र)	(अधिकतम आयु सीमा में राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना, नियम, 2022 में विहित प्रावधानों के अनुरूप शिथिलन दिया जावेगा)
3	परामर्शदाता	शालाक्य तंत्र/कायचिकित्सा/स्वस्थवृत्/कौमारभृत्य प्रत्येक विषय में 06 पद प्रसूति तंत्र/शल्य तंत्र/पंचकर्म, प्रत्येक विषय में 12 पद	60	पारिश्रमिक प्रतिमाह 39300/- (अक्षरे उनचालीस हजार तीन सौ मात्र)	
4	आयुर्वेद चिकित्साधिकारी		48	पारिश्रमिक प्रतिमाह 39300/- (अक्षरे उनचालीस हजार तीन सौ मात्र)	
कुल पदों की संख्या :-			144		

नोट:-

- आवेदन पत्र दिनांक 15.03.2023 से 31.03.2023 रात्रि 12:00 बजे तक वेबसाईट <http://prkritiparikshan.com/recruitment/> पर ऑनलाईन भरे जा सकेंगे। (नियुक्ति प्राधिकारी को विशेष परिस्थितियों में उक्त तिथियों में परिवर्तन का पूर्ण अधिकार होगा।)
- विज्ञप्ति से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी के लिये निदेशालय की वेबसाईट <https://health.rajasthan.gov.in> पर Ayurved Department को क्लिक करने पर Ayurved Department की वेबसाईट पर विस्तृत विज्ञप्ति देखें।


(डॉ आनन्द कुमार शर्मा)
निदेशक

राजस्थान-सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान-अजमेर

क्रमांक: प01/प्रति./नवीन आयुष महा. वि./06/2022/3291

दिनांक: 13-3-23

सह आचार्य, लेक्चरर, परामर्शदाता एवं आयुर्वेद चिकित्साधिकारी पदों के लिये संविदा पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

आयुष विभाग राजस्थान सरकार के अन्तर्गत संचालित 06 नवीन आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालयों (केकडी-अजमेर/भरतपुर/जयपुर/कोटा/बीकानेर/सीकर) में अध्ययन-अध्यापन एवं चिकित्सा कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार सह आचार्य, लेक्चरर, परामर्शदाता एवं आयुर्वेद चिकित्साधिकारी पदों के लिये "राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना, नियम 2022 के तहत पर पूर्णतया अस्थाई आधार पर नियुक्ति हेतु दिनांक 15.03.2023 से 31.03.2023 को 12:00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। निम्नलिखित सभी पद राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम-2022 में विहित प्रावधानों के आधार पर भरे जायेंगे। जिसकी अवधि पदस्थापन से 05 वर्ष तक अथवा नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले होगी, जब तक के लिये लागू रहेगी। इस सम्बन्ध में पात्र इच्छुक अभ्यर्थी उक्त दिनांक आयुर्वेद विभाग, राजस्थान अजमेर की वेबसाइट <http://prakritiparikshan.com/recruitment/> पर ऑनलाईन आवेदन करेंगे। इन पदों के लिये NCISM नई दिल्ली द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता/मापदण्ड प्रभावी होंगे। पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

S. No	Name of Subject	No. of Post	Gen				S.C				S.T				OBC				MBC				EWS				Ex Serviceman				Horizontal Reservation विशेष योग्यजन								
			सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्यक्ता									
1	सह आचार्य - मौलिक सिद्धान्त	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	सह आचार्य - क्रिया शरीर	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	सह आचार्य - रचना शरीर	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	लेक्चरर - मौलिक सिद्धान्त	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	लेक्चरर - क्रिया शरीर	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	लेक्चरर - रचना शरीर	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	परामर्शदाता - प्रसूति तंत्र	12	5	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	परामर्शदाता - शल्य तंत्र	12	5	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	परामर्शदाता - शालाक्य तंत्र	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
10	परामर्शदाता - पंचकर्म	12	5	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11	परामर्शदाता - काय चिकित्सा	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12	परामर्शदाता - स्वस्थयुवत	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
13	परामर्शदाता - कौमार मृत्य	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14	आयुर्वेद चिकित्साधिकारी	48	13	4	1	0	5	2	0	0	4	1	0	0	7	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
		144	68	20	1	0	8	2	0	0	7	1	0	0	23	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	15	

Horizontal Reservation :- PH (OA/OL)

8

नोट:-	
आयु सीमा	दिनांक 01.01.2024 को न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष नोट:- अधिकतम आयु सीमा में राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना, नियम, 2022 में विहित प्रावधानों के अनुरूप शिथिलन दिया जावेगा।
आरक्षण	राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना, नियम, 2022 के अधीन संविदात्मक नियुक्ति के लिये सृजित पदों पर नियुक्ति के लिये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, महिलाओं और बेंचमार्क (OA/OL) निर्योग्यता वाले व्यक्ति इत्यादि के आरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी उपबंध तथा नियम/अनुदेश लागू होंगे। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 20.01.2023 के अनुसरण में परिपत्र दिनांक 24.02.2020 के अनुसार रोस्टर लागू होगा।
पारिश्रमिक	1. सह आचार्य पद हेतु पारिश्रमिक प्रतिमाह/प्रतिव्यक्ति दर 47200/- (अक्षरे सैतालीस हजार दौ सौ मात्र) 2. लेक्चरर, परामर्शदाता एवं आयुर्वेद चिकित्साधिकारी दर 39300/- (अक्षरे उनचालीस हजार तीन सौ मात्र)
अन्य:-	
1	उक्त नियुक्तियां नवीन 06 आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालयों के संचालन हेतु "राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना, नियम 2022" के तहत की जावेगी। इन नियमों के तहत नियुक्त अभ्यर्थियों पर राज्य सरकार द्वारा संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी निर्देश/अनुदेश प्रभावी होंगे।
2	किसी वर्ग विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध नहीं होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर परिवर्तन द्वारा अर्थात् विधवाओं के लिये आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह महिलाओं से या विपर्ययेन, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह अभ्यर्थियों के उपलब्ध नहीं होने की दशा में, न भरी गयी रिक्तियाँ उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं होने की दशा में इस प्रकार की आरक्षित रिक्तियाँ उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी। इस प्रकार की आरक्षित रिक्तियाँ पश्चात्तर्वर्ती वर्ष के लिये अग्रणीत नहीं की जावेगी।
3	विशेष योग्यजन/निःशक्तजन के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
4	राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
5	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में जहां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण खाली रह जाती है तो उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यगत हो जायेगी।
6	वह अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके बाद दो से अधिक सन्तान हो, इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परन्तु पूर्वोक्त प्रसव से एक ही संतान है और पश्चात्तर्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतान पैदा होती है, इस प्रकार हुई संतानों को एक इकाई समझा जावेगा। संतानों की कुल संख्या गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जावेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो। पुनर्विवाह जो विधि के विरुद्ध नहीं हो, से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान के जन्म से नियुक्ति के लिये निरहित नहीं किया जायेगा।
7	कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 20.01.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा।
8	जाति प्रमाण-पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो।
9	अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र नियमानुसार नवीनतम जारी किये हुए होने आवश्यक हैं।
10	आवेदक को चयन उपरान्त आचरण सम्बन्धी पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।

शैक्षणिक योग्यता:-


क्र. सं.	पदनाम	केन्द्रीय/राज्य बोर्ड में पंजीयन	योग्यता भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिसूचना नई दिल्ली, 07 नवम्बर 2016	योग्यता भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिसूचना नई दिल्ली, 16 फरवारी 2022
1	सह आचार्य-मौलिक सिद्धान्त	अभ्यर्थी का केन्द्रीय या किसी भी राज्य के चिकित्सा बोर्ड से पंजीकृत होना आवश्यक है। चयन के पश्चात् नियत	1. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उसके समकक्ष से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि। 2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 की अनुसूची में सम्मिलित संबंधित विषय	1. संबंधित विषय में स्नातकोत्तर योग्यता रखने के बाद (ए) संबंधित विषय में नियमित व्याख्याता (असिस्टेंट प्रोफेसर) के रूप में 5 साल का शिक्षण अनुभव नहीं तो (बी) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित
2	सह आचार्य-क्रिया शारीर			
3	सह आचार्य-रचना शारीर			

शैक्षणिक योग्यता:-

क. सं.	पदनाम	केन्द्रीय/राज्य बोर्ड में पंजीयन	योग्यता भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिसूचना नई दिल्ली, 07 नवम्बर 2016	योग्यता भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिसूचना नई दिल्ली, 16 फरवारी 2022
		समय में राजस्थान इण्डियन मेडिसिन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा।	अथवा विशिष्टता में स्नातकोत्तर उपाधि। 3. संबंधित विषय में स्नातकोत्तर योग्यता रखने के बाद सम्बन्धित विषय में पांच वर्षों का शिक्षण अनुभव अथवा मान्यता प्राप्त जर्नल में प्रकाशित न्यूनतम तीन शोध पत्रों सहित केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्रों की अनुसंधान परिषदों अथवा विश्वविद्यालय अथवा राष्ट्रीय संस्थाओं में नियमित सेवा के कुल पांच वर्षों का अनुसंधान अनुभव।	प्रदेश या विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय संस्थानों की अनुसंधान परिषदों या परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) मान्यता प्राप्त अनुसंधान प्रयोगशालाओं में पूर्णकालिक शोधकर्ता (संबंधित विषय में स्नातकोत्तर योग्यता रखने के बाद) के रूप में 5 साल का शोध अनुभव या नियमित सेवा में 5 साल का अनुभव (संबंधित विषय में स्नातकोत्तर योग्यता रखने के बाद) केन्द्रीय में सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं या राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं, आयुष मंत्रालय या पांच साल का अनुभव (संबंधित विषय में स्नातकोत्तर योग्यता रखने के बाद) भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद में सहायक रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार के रूप में, जिसने राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को उस तारीख से उत्तीर्ण किया है जब यह चालू है और निम्नलिखित तीन मानदंडों में से किसी एक के साथ, अर्थात्- (1) अनुक्रमित पत्रिकाओं (यूजीसी-केयर, पबमेड, वेब ऑफ साइंस, साइंटेशन इंडेक्स, स्कोपस) में प्रकाशित न्यूनतम तीन शोध लेख या (2) अनुक्रमित पत्रिकाओं (यूजीसी-केयर, पबमेड, वेब ऑफ साइंस, साइंस साइंटेशन इंडेक्स, स्कोपस) में प्रकाशित एक शोधलेख और आयुर्वेद से संबंधित एक प्रकाशित पुस्तक या मेन्सुअल या (3) किसी भी प्रमुख अनुसंधान परियोजना (स्वीकृत पत्र के अनुसार परियोजना की अवधि तीन वर्ष और उससे अधिक की अवधि) या लघु अनुसंधान परियोजना (स्वीकृत पत्र के अनुसार परियोजना की अवधि तीन वर्ष से कम की अवधि) के लिए अन्वेषक और (4) शल्य, शालाक्य और स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र के विषयों या विशेषताओं को छोड़कर संबंधित विषय में स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करना है बशर्ते कि सेवारत उम्मीदवार अपनी आयु के 45 वर्ष पूरा होने से पहले संबंधित विषय में अपना स्नातकोत्तर पूरा कर चुका होगा।
4	लेक्चरर-मौलिक सिद्धान्त		1. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1970 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उसके समकक्ष से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि।	1. संबंधित विषय में स्नातकोत्तर योग्यता
5	लेक्चरर- क्रिया शारीर		2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1970 की अनुसूची में सम्मिलित संबंधित विषय अथवा विशिष्टता में स्नातकोत्तर उपाधि।	2. किसी भी शिक्षण अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन, पहली नियुक्ति के समय आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
6	लेक्चरर- रचना शारीर			
7	परामर्शदाता- प्रसूति तंत्र		1. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1970 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उसके समकक्ष से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि।	1. संबंधित विषय में स्नातकोत्तर योग्यता
8	परामर्शदाता- शल्य तंत्र		2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1970 की अनुसूची में सम्मिलित संबंधित विषय अथवा विशिष्टता में स्नातकोत्तर उपाधि।	2. किसी भी शिक्षण अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन, पहली नियुक्ति के समय आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
9	परामर्शदाता- शालाक्य तंत्र			
10	परामर्शदाता- पंचकर्म			
11	परामर्शदाता- कायचिकित्सा			
12	परामर्शदाता- स्वस्थवृत्त			
13	परामर्शदाता- कौमारभृत्य			

शैक्षणिक योग्यता:-				
क्र. सं.	पदनाम	केन्द्रीय/राज्य बोर्ड में पंजीयन	योग्यता भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिसूचना नई दिल्ली, 07 नवम्बर 2016	योग्यता भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिसूचना नई दिल्ली, 16 फरवारी 2022
14	आयुर्वेद चिकित्साधिकारी	अभ्यर्थी का राजस्थान इण्डियन मेडिसिन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, अधिनियम 1970 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उसके समकक्ष से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि।	
नोट:- उक्तानुसार योग्यता एवं अनुभव आवेदन की अंतिम दिनांक 31.03.2023 तक पूर्ण होना आवश्यक है।				

अन्य विवरण				
चयन का आधार	चयन हेतु अंको का निर्धारण (कुल 100 अंक) :-			
	1. सह-आचार्य (Associate Professor) पद हेतु :-			
	एकेडमिक :- (कुल 100 अंक)			
	1	50 प्रतिशत महत्व (Weightage) स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंको के प्रतिशत को दिया जावेगा।	:-	50 अंक
	2	50 प्रतिशत महत्व (Weightage) स्नातकोत्तर परीक्षा में उत्तीर्ण समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंको के प्रतिशत को दिया जावेगा। किन्तु एक ही विषय में केवल पुरातन अथवा नवीन एवं पुरातन दोनों पद्धति से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के शामिल होने पर सभी अभ्यर्थियों को (पुरातन पद्धति में अंको का अंकन नहीं होने से) समान प्रतिशत अंक प्रदान किये जायेंगे।	:-	50 अंक
	2. लेक्चरर (Assistant Professor) पद हेतु			
	एकेडमिक :- (कुल 100 अंक)			
	1	50 प्रतिशत महत्व (Weightage) स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंको के प्रतिशत को दिया जावेगा।	:-	50 अंक
	2	50 प्रतिशत महत्व (Weightage) स्नातकोत्तर परीक्षा में उत्तीर्ण समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंको के प्रतिशत को दिया जावेगा। किन्तु एक ही विषय में केवल पुरातन अथवा नवीन एवं पुरातन दोनों पद्धति से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के शामिल होने पर सभी अभ्यर्थियों को (पुरातन पद्धति में अंको का अंकन नहीं होने से) समान प्रतिशत अंक प्रदान किये जायेंगे।	:-	50 अंक
	3. आयुर्वेद चिकित्साधिकारी/परामर्शदाता पद हेतु:-			
	स्नातक में प्राप्त अंको की वरियता के आधार पर इन पदों पर चयन किया जावेगा।			
आवेदन अवधि	दिनांक 15.03.2023 से दिनांक 31.03.2023 रात्रि 12-00 बजे तक			
आवेदन प्रक्रिया	<p>1. उक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व निदेशालय की वेबसाईट https://health.rajasthan.gov.in पर Ayurved Department को क्लिक करने पर Ayurved Department की वेबसाईट पर उपलब्ध ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंगे। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। ऑनलाईन आवेदन में अपना मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. अनिवार्य रूप से अंकित करें।</p> <p>2. पृथक-पृथक पद/विषय हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना होगा।</p> <p>3. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (Application I.D.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा।</p> <p>4. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो विभाग की वेबसाईट पर दिये गये Helpdesk Number 9461885328 या E-Mail - ayuajm2023@gmail.com पर सम्पर्क करें।</p> <p>5. आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑन-लाईन आवेदन करें।</p> <p>6. विभाग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन/हाथ से भरा हुआ आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।</p>			


 (डॉ आनन्द कुमार शर्मा)
 निदेशक

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

सं.एफ. 17(4)कार्मिक/क-2/2014

जयपुर, दिनांक: 11.01.2022

अधिसूचना

यतः राज्य सरकार लोक हित में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कल्याणकारी राज्य के रूप में विभागीय स्कीम/परियोजनाएं/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम/परियोजनाएं हाथ में लेती है। इन परियोजनाओं/स्कीमों से अधिकतर के क्रियान्वयन के लिए ऐसे विषय-वस्तु विशेषज्ञों, विशेषज्ञों और जन शक्ति की आवश्यकता होती है, जिनके लिए सरकार में किसी अन्य सेवा नियम में, ऐसे पदों की सेवा की नियुक्तियों तथा शर्तों को विनियमित करने के लिए, पद विद्यमान नहीं है। सरकार द्वारा हाथ में ली गयी विकास स्कीमों/परियोजनाएं, उनके मूल स्वरूप से ही, प्रायः अल्पावधि या मध्यावधि के लिए अपेक्षित होती है। अतः राज्य सरकार के लिए आवश्यक है कि वह ऐसे पदों को राज्य सरकार में व्यक्तियों को संविदा आधार पर रखकर भरे जाने हेतु अनुज्ञात करे।

अतः अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, संविदा पर विषय-वस्तु विशेषज्ञों, विशेषज्ञों और जन शक्ति को रखे जाने तथा राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम, 2022 में रखे गये व्यक्तियों की सेवाओं की शर्तों को विनियमित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना, नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(i) "नियुक्ति प्राधिकारी" से विभागाध्यक्ष अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है, अन्य कोई प्राधिकारी या अधिकारी जिसे राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित की जायें;

(ii) "प्रशासनिक विभाग" से राज्य सरकार का वह विभाग अभिप्रेत है, जिसमें संविदात्मक पद सृजित किये जायें;

(iii) "आयोग" से राजस्थान लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(iv) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है; और

(v) "राज्य सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है।

3. व्याप्ति और लागू होना.- ये नियम, किसी परियोजना या स्कीम के क्रियान्वयन के लिए, वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा सृजित पदों पर तथा इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्ति या इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को, इस प्रकार सृजित पद पर संविदा आधार पर कार्यरत व्यक्ति पर लागू होंगे, बशर्ते कि उसका चयन आवेदनों को लोक विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित करने के पश्चात किया गया हो।

4. पद और पदों की संख्या.- (1) स्कीमों/परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सृजित पदों का स्वरूप ऐसा होगा जैसा वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाये।

(2) उप-नियम (1) के अधीन सृजित पदों की संख्या इतनी होगी जैसी सरकार द्वारा, समय-समय पर अवधारित की जाये:

परन्तु सरकार,-

(क) आवश्यक समझे जाने पर किसी संविदात्मक पद का समय-समय पर सृजन कर सकेगी और किसी व्यक्ति को किसी भी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना ऐसे किसी पद को उसी रीति से समाप्त कर सकेगी, और

(ख) किसी व्यक्ति को किसी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना किसी पद को समय-समय पर खाली या प्रास्थगित रख सकेगी, समाप्त कर सकेगी या व्यपगत होने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी।

5. संविदा पर रखे जाने की रीति .- नियम 4 के उप-नियम (1) के अधीन सृजित पदों पर लोक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर के इन नियमों के अधीन संविदा पर रखा जा सकेगा। चयन प्रक्रिया, कार्मिक विभाग की सहमति से, संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा अवधारित की जाएगी।

6. आयु.- इन नियमों के अधीन संविदा पर रखे जाने के लिए कोई अभ्यर्थी, आवेदनों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख के ठीक बाद आने वाले जनवरी के प्रथम दिन को 21 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु-सीमा 40 वर्ष होगी:

परन्तु उपरोल्लिखित ऊपरी आयु-सीमा,-

- (i) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्गों, अति पिछडे वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष;
- (ii) सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पांच वर्ष; और
- (iii) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्गों, अति पिछडे वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष,

तक शिथिल की जा सकेगी।

7. नियुक्ति के लिए अर्हता और पात्रता की कसौटी.- इन नियमों के अधीन सृजित पद की शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, कर्त्तव्य, दायित्व, कार्मिक विभाग और वित्त विभाग की सहमति से, प्रशासनिक विभाग द्वारा विनिश्चित किये जाएंगे।

8. चिकित्सा प्रमाणपत्र और चरित्र प्रमाणपत्र का पेश किया जाना.- (1) इन नियमों के अधीन रखे गए कार्मिक कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उपयुक्कता का चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

(2) इन नियमों के अधीन, रखे गये कार्मिक को चरित्र प्रमाणपत्र, प्रस्तुत करना होगा जो कार्यग्रहण की तारीख से छह माह से अधिक पूर्व का लिखा हुआ न हो।

9. अन्य शर्तें .- (1) कोई व्यक्ति, सरकार में किसी संविदात्मक पद पर रखे जाने के लिए पात्र होगा यदि,-

(क) वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो;

(ख) वह लोक सेवा में नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं हुआ हो या अनुशासनिक आधारों पर लोक सेवा से हटाया न गया हो;

(ग) वह किसी ऐसे अपराध में दोषसिद्ध न ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसके 01-06-2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान हों, इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु,-

- (i) दो से अधिक संतानों वाला अभ्यर्थी तब तक नियुक्ति के लिए निरहित नहीं समझा जायेगा जब तक उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है;
- (ii) जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा;
- (iii) किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय, ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो;
- (iv) ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरहित नहीं है तो उसे निरहित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।

10. आरक्षण.- इन नियमों के अधीन संविदात्मक नियुक्ति के लिए सृजित पदों पर नियुक्ति के लिए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं और बेंचमार्क निर्योग्यता वाले व्यक्ति इत्यादि के आरक्षण के लिए सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी उपबंध तथा नियम/अनुदेश लागू होंगे।

11. संविदात्मक नियुक्ति की कालावधि.- (1) इन नियमों के अधीन सृजित पदों पर, प्रथम संविदात्मक नियुक्ति पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए या स्कीम/परियोजना के अवसान की कालावधि तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी, तथापि, यदि स्कीम/परियोजना की कालावधि और बढ़ायी गयी है तो, राज्य सरकार संविदा कर्मियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता के निर्धारण के पश्चात, एक बार में 3 वर्ष के लिए संविदात्मक नियुक्ति की कालावधि बढ़ाकर संविदात्मक नियुक्ति के नवीकरण के लिए विनिश्चय कर सकेगी और संविदात्मक नियुक्ति उस तारीख, जिसको संविदा पर नियुक्त व्यक्ति ने 60 वर्ष की आयु प्राप्त की है, से आगे नहीं बढ़ायी जायेगी।

6/11/11

(2) संविदा पर रखे गये व्यक्ति का कार्य निर्धारण अभिलिखित किया जायेगा ताकि यदि उस पर अगले वर्ष के लिए संविदा पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाना हो तो उसका कार्य का निर्धारण किया जा सके।

(3) संविदा पर नियुक्ति, संविदा की कालावधि के अवसान पर स्वतः समाप्त हो जाएगी और सेवा की समाप्ति के लिए पृथक से आदेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

12. नियुक्ति आदेश.- इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए चयनित व्यक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा पर नियुक्त किए जा सकेंगे। संविदा नियुक्ति आदेश इन नियमों से संलग्न विहित प्ररूप में जारी किया जायेगा।

13. पारिश्रमिक और अन्य सुविधाएं.- (1) इन नियमों के अधीन सृजित पदों पर नियुक्त व्यक्ति ऐसे एक मुश्त पारिश्रमिक का हकदार होगा जो, वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा नियत किया जाये। प्रत्येक एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा के पूर्ण होने पर, एक मुश्त मासिक पारिश्रमिक 5 प्रतिशत तक, अगले सौ रूपये पर पूर्णांकित करते हुए बढ़ाया जायेगा।

(2) संविदा कर्मी,-

(i) प्रतिवर्ष 1500/- रु से अनधिक की मेडी-क्लेम पॉलिसी प्रीमियम के पुनर्भरण;

(ii) प्रतिवर्ष 500/-रु से अनधिक की दुर्घटना बीमा पॉलिसी प्रीमियम के पुनर्भरण;

(iii) मासिक एक मुश्त संविदा पारिश्रमिक के अधिकतम 10 प्रतिशत के अध्यक्षीन रहते हुए, उसके द्वारा जमा किये गये अभिदाय के 50 प्रतिशत के बराबर नई पेंशन स्कीम (एन.पी.एस.) में सरकार के अभिदाय,

का हकदार होगा।

(3) संविदा कर्मी को कोई भी तदर्थ बोनस संदेय नहीं होगा।

(4) आय पर टी.डी.एस, यदि बकाया हो तो, संविदात्मक पारिश्रमिक से काटा जायेगा।

14. छुट्टी का लागू होना.- (1) संविदा पर रखा गया व्यक्ति, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा, और वर्ष के मध्य में नियुक्ति या उसकी सेवा की समाप्ति के मामले में आकस्मिक अवकाशों के लिए पात्रता की संगणना पूर्ण किये गये महिनो के लिए आनुपातिक आधार पर की जायेगी। तथापि, नियंत्रण प्राधिकारी, कैलेंडर वर्ष के दौरान प्रोद्भूत छुट्टी के अग्रिम उपभोग को, उपयुक्त कारणों से, अनुज्ञात कर सकता है। अनुपभुक्त छुट्टी कैलेंडर वर्ष के अंत पर व्यपगत हो जायेगी।

स्पष्टीकरण: संगणना के लिए अपूर्ण दिन, अगले पूर्ण दिन के साथ समायोजित/पूर्णांकित किया जायेगा।

(2) संविदा पर रखा गया व्यक्ति संविदा सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के संबंध में 20 दिवस की अर्ध वेतन छुट्टी का हकदार होगा। ये छुट्टी चिकित्सा प्रमाणपत्र पर ही दी जाएगी। अनुपभुक्त अर्ध वेतन छुट्टी अधिकतम 200 दिवस तक संचित की जा सकेगी।

(3) महिला संविदा कर्मी को, जिसके दो से कम जीवित संतान हो, 180 दिवस तक का मातृत्व अवकाश अनुज्ञेय होगा। यदि इसका दो बार उपभोग कर लेने के पश्चात कोई जीवित संतान न हो तो, मातृत्व अवकाश एक और अवसर के लिए दिया जा सकेगा। छुट्टी का संदाय, छुट्टी प्रारंभ होने से पूर्व के दिन को संदत्त संविदात्मक पारिश्रमिक रकम की दर के अनुसार किया जायेगा।

(4) संविदा कर्मी सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा।

15. यात्रा भत्ता.- संविदा पर रखा गया व्यक्ति, राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में उसके द्वारा की गयी यात्रा के लिए, राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971 के अनुसार यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा। यात्रा भत्ते के प्रयोजन के लिए प्रवर्ग को एक मुश्त मासिक संविदा पारिश्रमिक के अनुसार अवधारित किया जायेगा।

16. सामान्य शर्तें, सदाचार और अनुपालन.- संविदा पर रखा गया व्यक्ति,-

- (i) उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गये आदेशों/नियमों और अनुदेशों के अधीन अपेक्षित स्तर पर सामान्य संतोषप्रद आचरण और सदाचार का अनुपालन करेगा,
- (ii) एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जायेगा;
- (iii) सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, कोई पूर्णकालिक/अंशकालिक नियोजन स्वीकार नहीं करेगा या किसी अन्य कार्य, वृत्तिक, व्यवसाय में लिप्त नहीं लगेगा या अन्य किसी पाठ्यक्रम का अनुसरण नहीं करेगा;

(iv) यूनियन/वर्दी से संबंधित अनुदेशों, यदि जारी किये गये हैं, की अनुपालना करेगा, जिसके लिए वित्त विभाग के परामर्श से, प्रशासनिक विभाग द्वारा नियत की गयी रकम संदत्त की जायेगी।

17. प्रतिकर.- यदि इन नियमों के अधीन, रखे गये कार्मिक की सेवा उसकी संविदा की अवधि के पूर्ण होने से पूर्व समाप्त की गयी है तो वह निम्नलिखित दर पर प्रतिकर के संदाय का हकदार होगा/होगी:-

शेष रह गयी असमाप्त सहमत कालावधि	प्रतिकर की रकम
एक वर्ष तक	एक माह की उपलब्धियां
दो वर्षों तक	दो माह की उपलब्धियां
तीन वर्षों तक	तीन माह की उपलब्धियां
चार वर्षों तक	चार माह की उपलब्धियां
चार वर्षों से अधिक	पांच माह की उपलब्धियां

यदि संविदा कर्मों की सेवा दुराचार के आधार पर समाप्त की गयी है तो ऐसे संविदा कर्मों को कोई प्रतिकर संदेय नहीं होगा।

18. नियुक्ति आदेश का प्रतिसंहरण.- इन नियमों के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति यदि,

- (i) उच्चाधिकारियों के विधिपूर्ण आदेश या अनुदेशों की अवज्ञा करता है या उच्चाधिकारियों का तिरस्कार करता है;
- (ii) सरकारी पदधारी के साथ कोई अनाम पत्राचार करता है;
- (iii) अनैतिक जीवन में या किसी दांडिक मामले में अंतर्लिप्त होता है;
- (iv) झूटी के प्रति सत्यनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा नहीं बनाये रखता है;
- (v) सभी समयों पर सेवा के प्रति अपनी उपयोगिता सिद्ध नहीं करता है; और
- (vi) निधियों के दुर्विनियोग में अंतर्लिप्त होता है,

तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसकी नियुक्ति तुरंत प्रभाव से प्रतिसंहृत की जा सकेगी। नियुक्ति आदेश प्रतिसंहृत करने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, अर्थात्:-

- (क) इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति जिसका नियुक्ति आदेश प्रतिसंहृत किया जा रहा है, को कारणों के ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए एक नोटिस तामील किया जायेगा।
- (ख) नोटिस की तामील, उसके पते पर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड ए/डी डाक द्वारा/वैयक्तिक प्राप्त द्वारा/ई-मेल द्वारा या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथा विनिश्चित अन्य रीति से की जा सकेगी।
- (ग) जवाब प्रस्तुत करने के लिए, नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन सप्ताह का अधिकतम समय दिया जायेगा।
- (घ) यदि अपचारी द्वारा जवाब समय के भीतर प्रस्तुत किया जाता है तो नियुक्ति प्राधिकारी उसके द्वारा प्राप्त जवाब का परीक्षण करेगा।
- (ड.) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित संविदा कर्मों की वैयक्तिक सुनवाई भी की जा सकेगी।

(च) नियुक्ति प्राधिकारी, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर सम्यक् तत्परता से विचार करेगा और समाधान हो जाने के पश्चात यदि अपेक्षित हो, नियुक्ति प्राधिकारी, तुरन्त प्रभाव से नियुक्ति आदेश के प्रतिसंहरण और निधि के दुर्विनियोग के संबंध में वसूली, यदि कोई हो, के आख्यापक आदेश पारित करेगा। यह प्रक्रिया दो माह की कालावधि के भीतर-भीतर पूर्ण की जायेगी:

परन्तु इन नियमों के अधीन नियुक्त कर्मचारी यदि किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष किया गया है तो, उसका नियुक्ति आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त कथित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना ही तुरन्त प्रभाव से प्रतिसंहृत कर दिया जायेगा।

19. नियुक्ति का समापन.- यदि नियुक्ति प्राधिकारी इन नियमों के अधीन नियुक्त किये गये संविदा कर्मों की सेवाओं से संतुष्ट न हो या यह विश्वास करता है कि किसी कारण से उसकी सेवाएं अब आवश्यक नहीं रही हैं तो, नियुक्ति प्राधिकारी तीन माह का नोटिस या नोटिस कालावधि का वेतन देते हुए उसकी सेवाएं समाप्त कर सकेगा। इस संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

20. स्क्रीनिंग.- यदि सरकार की किसी स्कीम/परियोजना के किसी विनिर्दिष्ट संविदात्मक पद को नियमित पद में संपरिवर्तित किया गया है और किसी सेवा में सम्मिलित किया गया है तो उस संविदात्मक पद पर कार्य कर रहा व्यक्ति और जिसने पांच वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण

कर ली है उसे, उस पद पर उसकी उपयुक्तता न्यायनिर्णित करने के लिए निम्नलिखित से बनी स्क्रीनिंग समिति द्वारा स्क्रीन किया जायेगा-

- | | |
|---|------------|
| (i) प्रशासनिक विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव; | अध्यक्ष |
| (ii) वित्त विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव की रैंक से नीचे का ना हो; और | सदस्य |
| (iii) कार्मिक विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव की रैंक से नीचे का ना हो; और | सदस्य |
| (iv) विभागाध्यक्ष | सदस्य-सचिव |

नियुक्ति प्राधिकारी उस व्यक्ति को नियुक्ति आदेश जारी करेगा जो स्क्रीनिंग समिति द्वारा पद के लिए उपयुक्त के रूप में न्यायनिर्णित किया गया है। नियुक्ति आदेश, ऐसे आदेश के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा और इन नियमों के अधीन संविदा सेवा की कालावधि को किसी भी प्रयोजन के लिए सेवा के रूप में संगणित नहीं किया जायेगा:

परंतु आयोग की, उसके कार्यक्षेत्र में आने वाले पद पर सहमति, विनियमन से पूर्व प्राप्त की जायेगी।

21. निर्वचन.- जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण खंड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) इन नियमों के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा, जैसा किसी राजस्थान अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

22. शंकाओं का निराकरण.- यदि इन नियमों के लागू होने, निर्वचन और व्याप्ति के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो तो मामला सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर, वित्त विभाग से परामर्श कर के, विनिश्चय अंतिम होगा।

प्ररूप
(नियम12)

नियुक्ति आदेश

श्री/ श्रीमती/ कुमारी....., पुत्र/ पत्नी/ पुत्री श्री.....,
निवासी....., ग्राम....., तहसील....., जिला.....,
राज्य..... से प्राप्त..... के पद के लिए आवेदन के संदर्भ में यह सूचित किया जाता
है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी..... राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना,
नियम, 2022 के अधीन उक्त पद के लिए चयनित किया गया/गयी है।

अतः वह इसके द्वारा..... रूप में संविदा पर..... वर्ष की कालावधि के
लिए अर्थात्तक (तारीख), निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किया
जाता/ जाती है:-

1. रुपये.....(अंकों में)..... (शब्दों में) प्रतिमाह का संविदा पारिश्रमिक।
उपरोक्त के अतिरिक्त, वह निम्नलिखित के लिए भी हकदार होगा/होगी:-
(क) मेडिकलेम पॉलिसी प्रीमियम का पुनर्भरण जो रुपये 1500/- प्रति वर्ष से अधिक न
हो।
(ख) समेकित मूल वेतन के अधिकतम 10% के अध्यक्षीन रहते हुए, नयी अभिदाय
पेंशन स्कीम में स्वयं के द्वारा निक्षेपित 50% के अभिदान का पुनर्भरण।
(ग) दुर्घटना बीमा पॉलिसी प्रीमियम का पुनर्भरण जो 500/- रुपये प्रति वर्ष से अधिक
न हो।
2. निबंधन और शर्तें तथा अन्य मामले जैसे छुट्टी आदि राजस्थान सिविल पद पर संविदा
पर रखे जाना, नियम, 2022 के उपबंधों के अनुसार शासित होंगे।
3. ड्यूटी पर यात्रा करने के लिए, यात्रा और दैनिक भत्ता उसी प्रकार लागू होगा जैसा कि
राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971 के अधीन संविदात्मक वेतन पर आधारित कर्मचारियों
के प्रवर्ग पर लागू होता है।
4. पद ग्रहण से पूर्व उसके द्वारा दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने
होंगे जो 6 माह के भीतर-भीतर जारी किए गये हो।
5. नियुक्ति पद ग्रहण से पूर्व चिकित्सा बोर्ड/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा
जारी किये गये चिकित्सीय योग्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन रहते हुए की
जायेगी।
6. कार्यग्रहण रिपोर्ट के साथ शैक्षिक अर्हताएं, जाति या, यथास्थिति, पूर्व अनुभव से संबंधित
अधिप्रमाणित प्रतियां, प्रमाणपत्र सहित मूल प्रस्तुत किये जायेंगे।

7. संविदात्मक नियुक्ति की कालावधि के दौरान वह कोई अन्य समनुदेशन नहीं लेगा/लेगी।
8. संविदात्मक नियुक्तिको समाप्त की जाती है। नियुक्ति की कालावधि के दौरान, वह तीन माह का नोटिस देकर पद त्याग कर सकेगा/सकेगी।

नियुक्ति प्राधिकारी भी उसकी नियुक्ति, तीन माह का नोटिस या उसका वेतन देकर समाप्त करने में सक्षम है।

9. यदि उपरोक्त निबंधन और शर्तें प्रतिगाह्य हैं तो वह अधोहस्ताक्षरी को(पंद्रह दिन से अनधिक) से पूर्व इयूटी के लिए रिपोर्ट कर सकेगा/सकेगी। इस कालावधि के अवसान के पश्चात् नियुक्ति आदेश रद्द हो जायेगा।

दिनांक:

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

स्थान:

राज्यपाल के आदेश और नाम से,


(जय सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

4/2022

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A.Gr.-II)**

No. F. 17(4)DOP/A-2/2014

Jaipur, dated: 11.01.2022

NOTIFICATION

Whereas the State Government in public interest undertakes departmental Schemes/ Projects/ Central Sponsored Schemes/ Projects for social and economic development as a welfare State. For implementation of most of these projects/schemes requires the subject matter specialists, experts and manpower and posts for which do not exist in any other Service Rules in the government for regulating appointments and conditions of service of such posts. By their very nature the development schemes/projects undertaken by the Government are usually required for short term or medium term. Therefore, State Government needs to allow such posts to be filled in by way of hiring persons on contract basis in the State Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules, regulating the hiring of subject matter specialists, experts and manpower on contract, and the conditions of the services of persons hired to the Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (i) "Appointing Authority" means the Head of Department and includes any other authority or officer to whom such powers in that behalf may be delegated by a general or special order of the State Government;
- (ii) "Administrative Department" means the department in the State Government in which contractual posts are created;
- (iii) "Commission" means the Rajasthan Public Service Commission;
- (iv) "State" means the State of Rajasthan; and
- (v) "State Government" means the Government of Rajasthan.

3. Scope and application.- These rules shall apply to posts created by the Administrative Department with the concurrence of the Finance Department for



implementation of any project or scheme and to person appointed on such posts in accordance with the provisions of these rules or person working on the post so created on contract basis on the date of commencement of these rules provided his/her selection was made after inviting applications through public advertisement.

4. Posts and strength of posts.- (1) The nature of posts created for implementation of the schemes/projects shall be such as may be notified by the Administrative Department with the concurrence of the Finance Department.

(2) The strength of the posts created under sub-rule (1) shall be such as may be determined by the Government, from time to time:

Provided that the Government may,-

- (a) create any contractual post, from time to time, as may be considered necessary and may abolish any such post in the like manner without thereby entitling any person to any compensation, and
- (b) leave unfilled or hold in abeyance, abolish or allow to laps any posts, from time to time, without thereby entitling any person to any compensation.

5. Method of hiring.- For hiring on contract under these rules on the posts created under sub-rule (1) of rule 4 shall be made by inviting of applications through public advertisement. The selection procedure shall be determined by the concerned Administrative Department, with the concurrence of Department of Personnel.

6. Age.- A candidate for hiring on contract under these rules must have attained the age of 21 years on the 1st day of January next following the last date fixed for receipt of applications. The upper age limit for the appointment under these rules shall be 40 years:

Provided that the upper age limit mentioned above shall be relaxed by,-

- (i) 5 years in case of male candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections.
- (ii) 5 years in case of women candidates belonging to General category; and
- (iii) 10 years in case of woman candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections.

7. Qualifications and eligibility criteria for appointment.- The academic qualification, experience, duties, responsibilities of the post created under these rules shall be decided by the Administrative Department with the concurrence of the Department of Personnel and Finance Department.

8. Production of Medical Certificate and Character Certificate.- (1) Personnel hired under these rules shall produce the medical certificate of fitness as may be specified by the Appointing Authority before joining the assignment.

(2) Personnel hired under these rules shall have to produce a character certificate written not more than six months prior to the date of joining.

9. Other conditions.- (1) A person shall be eligible to be hired for any contractual post in the Government ,-

(a) he/she is of sound mind and good health;

(b) he/she has not been disqualified for appointment in public service or removed from public service on disciplinary grounds;

(c) he/she has not been convicted of any offence involving moral turpitude.

(2) No person shall be eligible for appointment under these rules who has more than two children on or after 01-06-2002:

Provided that,-

(i) the candidate having more than two children shall not be deemed to be disqualified for the appointment so long as the number of children he/she had on 1st June, 2002, does not increase

(ii) where a candidate has only one child from earlier delivery but more than one child are born out of a single subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children.

(iii) while counting the total number of children of a candidate, the child born from earlier delivery and having disability shall not be counted.

(iv) any candidate who performed remarriage which is not against any law and before such remarriage he is not disqualified for appointment under this sub-rule, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage.

10. Reservation.- For appointment on the posts created for contractual appointment under these rules, the provisions and rules/instructions issued by the Government, from time to time, for reservation for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes, Economically Weaker Sections, Women and Person with Benchmark Disability etc. shall be apply.

11. Period of contractual appointment.- (1) On the posts created under these rules, first contractual appointment shall be made for a period not exceeding five years or upto the expiry of the period of scheme/project whichever is earlier, however, if the period of scheme/project is further extended, the State Government may take decision for renewal of contractual appointment by extending the period of contractual

appointment for 3 years at a time depending on the necessity of the contractual employees and after assessing suitability of person appointed on contract, The contractual appointment shall not be extended beyond the date on which contractual appointee attains the age of 60 years.

(2) Work assessment of the person hired on contract shall be recorded so that his work may be assessed in case he is to be considered for appointment on contract for the next year.

(3) Contract appointment shall stand terminated automatically on expiry of the period of the contract and there shall be no need to issue separate order for terminating the service.

12. Appointment order.- The person selected for appointment under these rules may be appointed on contract by the Appointing Authority. The contract appointment order shall be issued in the prescribed Form appended to these rules.

13. Remuneration and other facilities. - (1) A person appointed on the posts created under these rules shall be entitled for such lump-sum remuneration as may be fixed by the Administrative Department with the concurrence of the Finance Department. On completion of satisfactory service of every one year, the monthly lump-sum remuneration shall be increased by 5% rounded off to next hundred rupees.

(2) The contractual employee shall also be entitled to,-

- (i) re-imbusement of Medi-claim Policy premium not more than Rs. 1500/- per year;
- (ii) re-imbusement of Accidental Insurance Policy premium not more than Rs. 500/- per year;
- (iii) Government contribution in New Pension Scheme (NPS) equal to 50% of the contribution deposited by him/her subject to maximum of 10% of the monthly lump-sum contract remuneration.

(3) No ad-hoc bonus shall be payable to contractual employee.

(4) TDS on income, if due, shall be deducted from contractual remuneration.

14. Applicability of leave.- (1) The Person hired on contract shall be entitled for 12 days casual leave in each calendar year, and in case of appointment in the middle of the year, or on termination of his service, calculation of eligibility for casual leave shall be made on proportional basis for full completed months. However, controlling authority can permit use of leave to accrue during a calendar year only in advance for deserving reasons. Un-availed leave shall stand lapsed at the end of calendar year.

Explanation: Incomplete day shall be adjusted/rounded off with the next full day for computation.

(2) The person hired on contract shall be entitled to half pay leave of 20 days in respect of each completed year of contract service. This leave may be granted on medical certificate only. Unutilized half pay leave may be accumulated maximum up to 200 days.

(3) Maternity leave up to 180 days would be admissible to the female contractual employee who have less than two surviving children. If there is no surviving child after availing it twice, maternity leave may be granted on one more occasion. Payment of leave shall be made as per the rate of contractual remuneration amount paid on the day before leaves commence.

(4) Contractual employee shall not leave headquarter without prior permission of competent officer.

15. Travelling allowance.- The person hired on contract shall be entitled to Travelling and Daily Allowance for journey performed by them in connection with the affairs of the State as per the Rajasthan Travelling Allowance Rules, 1971. For the purpose of Travelling Allowance the category shall be determined as per monthly lump-sum contract remuneration.

16. General conditions, ethics and observance.- The person hired on contract shall,-

- (i) observe general satisfactory conduct and ethics at the level expected under orders / rules and instructions issued by higher authorities;
- (ii) not be transferred from one place to any other place;
- (iii) not accept any full time / part time employment or engage in any other work, business occupation or pursue any study course without prior approval of the Government;
- (iv) comply the instructions regarding uniform/ livery, if issued, for which an amount fixed by the Administrative Department with the concurrence of the Finance Department shall be paid.

17. Compensation.- If the service of a personnel hired under these rules is terminated, before completion of his/her contract tenure, he/she shall be entitled for payment of compensation at the following rate:-

SWH

Unexpired agreed period remained	Amount of compensation
upto one year	1 month emoluments
upto two years	2 months emoluments
upto three years	3 months emoluments
upto four years	4 months emoluments
above four years	5 months emoluments

If the service of the contract employee is terminated on the ground of misconduct then no compensation shall be payable to such contract employee.

18. Revoking of appointment order.- Any person appointed under these rules if,-

- (i) disobeys lawful order or instructions of superior officers or defies the superior officers;
- (ii) make any anonymous correspondence with government official;
- (iii) involved in immoral life or in any criminal case;
- (iv) not maintain integrity and devotions to duty;
- (v) not establish usefulness of his/her services at all times; and
- (vi) involve in misappropriation of funds,

his/her appointment may be revoked with immediate effect by the Appointing Authority. For revoking the appointment order, the Appointing Authority shall follow the following procedure, namely:-

- (a) A notice containing details of reasons shall be served to the person appointed under these rules whose appointment order is being revoked.
- (b) Notice may be served by Speed Post /Registered A/D on his/her address/by personal receipt/ by e-mail or any other manner as decided by the Appointing Authority.
- (c) Maximum three weeks time to be given to submit the reply from the date of receipt of notice.
- (d) If reply is submitted by the delinquent within time, the Appointing Authority shall examine the reply received by him.
- (e) Personal hearing may also be given to the contractual employee concerned by the Appointing Authority.
- (f) The Appointing Authority shall consider the facts and circumstances of the matter with due diligence and after satisfaction, if required, the Appointing Authority shall pass a speaking order to revoke the appointment order and recovery, if any, in respect of misappropriation of funds, with immediate effect. The process shall be completed within a period of two months:

Provided that a employee appointed under these rules is convicted by any court of law then his/her appointment order shall be revoked with immediate effect by the Appointing Authority without following the procedure stated above.

19. Termination of appointment.- If the Appointing Authority is not satisfied with the services of contractual employee appointed under these rules or believes that his/her services are no longer required for any reason, the appointing authority may terminate his/her services by giving three months notice or notice period salary. The decision of the Appointing Authority in this regard shall be final.

20. Screening.- If any specific contractual post of the any scheme/project of the Government is converted into regular post and included in any service, the person working on that contractual post and who have completed five years satisfactory service shall be screened for adjudging their suitability on the post by the screening committee consisting of,-

- | | |
|--|----------------------|
| (i) Additional Chief Secretary/Principal Secretary/
Secretary of the Administrative Department | Chairman |
| (ii) Additional Chief Secretary / Principal Secretary/
Secretary of the Finance Department or his nominee
not below the rank of Deputy Secretary to the
Government; and | Member |
| (iii) Principal Secretary / Secretary of the Department of
Personnel or his nominee not below the rank of
Deputy Secretary to the Government, and | Member |
| (iv) Head of the Department | Member-
Secretary |

The Appointing Authority shall issue appointment order of the person, who is adjudged suitable for the post by the screening committee. The appointment order shall be effective from the date of issue of such order and the period of contract service under these rules shall not be counted as service for any purpose:

Provided that the concurrence of the Commission shall be obtained before regularisation on the post falling under its purview.

21. Interpretation. Unless the context otherwise requires, the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Act No. VIII of 1955) shall apply for the interpretation of these rules as it applies for the interpretation of a Rajasthan Act.

22. Removal of doubts.- If any doubt arises relating to the application, interpretation and scope of these rules it shall be referred to the Government in the

Department of Personnel whose decision in consultation with the Finance Department thereon shall be final.

Form
(Rule 12)
APPOINTMENT ORDER

With reference to the application for the post of received from Shri/Smt./Kumari son/wife/daughter of Shri resident of Village..... Tehsil....., District....., State..... it is informed that Shri/Smt./Kumari has been selected for the said post under the Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022. Therefore, he/she is hereby appointed as on contract for a period of years i.e. upto..... (date) on the following terms and conditions:-

1. A contract remuneration of rupees (in figures) (in words) per month.

In addition to above he/she shall also be entitled for the following:-

- (a) Re-imbusement of medi-claim policy premium not more than rupees 1500/- per year.
 - (b) Re-imbusement of 50% of the contribution deposited by you in new contributory pension scheme, subject to maximum of 10% of the consolidated basic salary.
 - (c) Re-imbusement of Accidental Insurance policy premium not more than rupees 500/- per year.
2. The terms and conditions, and other matters like leave etc., will be governed as per the provisions of the Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022.
3. For travel on duty, the travelling and daily allowance shall be admissible as applicable to category of employees based on contractual salary under the Rajasthan Travelling Allowance Rules, 1971.
4. The character certificate from two gazetted officers issued within 6 months shall be submitted by him/her before joining.
5. The appointment is subject to the production of certificate of medical fitness issued by the Medical Board / Chief Medical and Health Officer before joining to the post.

6. The original, along with attested copies, certificates in respect of educational qualifications, caste or past experience, as the case may be, shall be submitted along with joining report.

7. He/she shall not take up any other assignment during the period of contractual appointment.

8. This contractual appointment shall stand terminated on..... During the period of employment, he/she may resign by giving a notice of three months. The appointing authority is also competent to terminate his/her appointment by giving a notice of three month or salary thereof.


In case, the above terms and conditions are acceptable he/she may report for duty to the undersigned before..... (Not more than fifteen days). After expiry of this period the appointment order shall stand cancelled.

Date:

Place:

Signature Head of the Department

By Order and in the name of Governor,



(Jai Singh)

Joint Secretary to the Government.

4/2022

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक पं. 2(5)कार्मिक/क-2/2015

जयपुर, दिनांक: 20/11/2023

1. समस्त अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।


परिपत्र

विषय:—संविदा नियुक्तियों में रोस्टर पंजिका संधारित किये जाने के संबंध में।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प 17(4)कार्मिक/क-2/2014 दिनांक 11.1.2022 के द्वारा "राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना" नियम 2022 जारी किये गये हैं। इन नियमों के तहत रखे जाने वाले कार्मिकों के संबंध में राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण प्रावधान लागू होंगे। इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 12.10.2015 द्वारा भी राज्य सरकार के अधीन समस्त सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के विरुद्ध संविदा नियुक्तियों पर आरक्षण प्रावधान लागू करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

राज्य सरकार द्वारा किये गये उक्त प्रावधान के क्रम में संविदा नियुक्तियों में विभिन्न वर्गों के आरक्षण प्रतिशत को त्रुटिरहित संचालित करने के लिए कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 24.2.2020 में निर्धारित प्रारूप में रोस्टर पंजिकाओं का संधारण किया जाना है।

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों/नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि संविदा नियुक्तियों में खुली प्रतिस्पर्धा एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु रोस्टर पंजिकाओं का संधारण अनिवार्य रूप से किया जावे।



(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव गण।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली